सख्या – /XXIV(6)/2011

प्रेषक,

वेदीराम,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 2 मई, 2011

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर् पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या :यूओयू/एसबी/103/2011–12 दिनांक 15,अप्रेल 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय के **आयोजनेत्तर् पक्ष** में प्राविधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख (₹एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष कार्मिकों के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध मदों के भुगतान के लिए **प्रथम किश्त के रूप में रूपये 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि अनुदान के रूप में निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय वचनबद्ध मदों को प्राथमिकता दी जायेगी । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त मांग के समय औचित्य स्पष्ट करते हुए अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के समान ही मदवार फॉट शासन से अनुमोदित करायी जानी होगी । अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि व्यय नहीं की जायेगी । व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0एण्डडी0 की दर तथा यह दर निश्चित न होने पर टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जाना होगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा, क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जायेगा जिसे सम्बन्धित् अधिकारी द्वारा सत्यापित/प्रमाणित भी किया जाना होगा । कम्प्यूटर आदि के क्रय के सम्बन्ध में आई0टी0 विभाग/नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– स्वीकृत की गयी धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी ।

4– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय

विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

5— व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—आयोजनेत्तर—07—राज्य मुक्त विश्वविद्यालय—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा ।

7 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 04 (NP)/XXVII(3)/ 2011 दिनॉक 28,अप्रेल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वेदीराम)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 22/XXIV(6)/2011 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
5. वित्त अनुभाग—3 उत्तराखण्ड शासन ।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।